बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

:– कार्यालय आदेश :–

का0 आदेश सं0– 1 / स्थाप–4039 / 05 - 60 पटना–01, दिनांक– 03.05.18

रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना नियमावली 2010 संबंधी वित्त विभागीय संकल्प सं0–7566 दिनांक 14.07.2010 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, (संशोधित) 2010 संबंधी वित्त विभागीय अधिसूचना सं0–7549 दिनांक 13.07.2010 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 6068 दिनांक 13.06.2013 के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति (निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन गठित) की दिनांक 27.04.2018 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निदेशालय नियोजन के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के चतुर्थवर्गीय कर्मियों को नियमानुसार 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत वित्तीय उन्नयन एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के अंतर्गत सीधी भर्ती ग्रेड वेतन में 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्षो की सेवा पूरी करने के उपरांत वित्त विभाग के संकल्प सं0–7566 दिनांक 14.07.2010 के परिशिष्ट 1 कंडिका–2 के अनुसार रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना अंतर्गत लाभ दिया गया।

वित्त विभाग के परिपत्र–5706 / वि0 दिनांक 30.06.2015 के आलोक में वैसे कर्मी जिन्हें द्वितीय सुनिश्चित वृति उन्नयन 2750–4400–अपुनरीक्षित एवं पुनरीक्षित वेतनमान पी0 वी0–1+2400 में प्राप्त हो चुका है उन्हें दिनांक 01.01.09 या 30 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि, जो बाद में हो, से पी0 वी0–1+2800 के वेतनमान् से तृतीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन देय होगा।

निदेशालय नियोजन का कार्यालय आदेश सं–41–सह–पठित ज्ञापांक–594 दिनांक–12.06.2017 द्वारा निदेशालय नियोजन, मुख्यालय के सेवानिवृत कार्यालय परिचारी श्री रामदेव प्रसाद के ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 में निम्नवत् सुधार किया जाता है–

क्र0 सं0	नाम, पदनाम एवं वेतनमान् (कार्यालय परिचारी)	प्रथम नियुक्ति की तिथि / वरीयता क्रमांक	बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, (संशोधित) 2010 अनुसार ए0 सी0 पी0		दिनांक 01.01.09 से रूपांतरित ए0 सी0 पी0 2010		
			12 वर्षो की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि / वेतनमान। पुनरीक्षित वेतनमान् 01.01.2006 से	24 वर्षो की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि / वेतनमान् पुनरीक्षित वेतनमान् 01.01.2006 से	10 वर्षो की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि / वेतन वैण्ड / ग्रेड वेतन	20 वर्षो की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि / वेतन वैण्ड / ग्रेड वेतन	30 वर्षो की सेवा पूरी करने की तिथि एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि / वेतन बैण्ड / ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री रामदेव प्रसाद, कार्यालय परिचारी, सेवानिवृत, 5200–20200 ग्रेड पे0–1800	01.11.75	01.11.87 09.08.99 2610–4000 (अपुनरीक्षित) 5200–20200 ग्रेड पे0–1900 (पुनरीक्षित)	01.11.99 01.11.99 2750–4400 (अपुनरीक्षित) 5200–20200 ग्रेड पे0–2400 (पुनरीक्षित)	—	—	01.11.2005 01.07.2010 5200–20200 (ग्रेड पे0 2800) (निदेशालय पत्रांक–583 दिनांक–16.04.2008 के द्वारा उन्हें दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक की सजा दी गई थी। अतएव इसका कुप्रभाव दिनांक–01.07.08 एवं 01.07.

Manoj sir New file 15

(कृ०पृ०उ०)

							2009 के वेतनवृद्धि पर पडेगा एवं इन्हें दिनांक–01.07.2010 को वेतनवृद्धि प्राप्त होगी। अतएव इन्हें दी गयी सजा से पूर्णतः मुक्ति दिनांक–30.06.2010 को हुई।)

(2) वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों का वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना 2003 के नियम–8 एवं सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना संशोधन नियमावली–2006 तथा वित्त विभाग के पत्रांक–2181 (वि0) (2) दिनांक–24.03.04 वित्त विभागीय संकल्प संख्या–7566 दिनांक–14.07.10 एवं वित्त विभाग के पत्र सं0–3637 / वि0 दिनांक 10.04.2013 के आलोक में किया जायेगा।

(3) वित्तीय उन्नयन के आदेश में भविष्य में त्रुटि पाये जाने पर संशोधन का अधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना में सन्निहित होगा। इस आधार पर कम या अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एकमुस्त बसूली कर ली जायेगी। सेवानिवृत कर्मियों के मामले में वेतन सत्यापन वित्त विभाग से कराने के पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

(4) निदेशालय नियोजन का कार्यालय आदेश सं–41–सह–पठित ज्ञापांक–594 दिनांक–12.06.2017 को इस हद तक संशोधित माना जाय।

ह0 / –
(के० सेंथिल कुमार)
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1 / स्थाप–4039 / 05 पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपि –महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0 / –
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1 / स्थाप–4039 / 05 पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0 / –
निदेशक
नियोजन एव प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1 / स्थाप–4039 / 05 पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपि– लेखा शाखा / बजट शाखा / संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0 / –
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1 / स्थाप–4039 / 05 463 पटना–01, दिनाक– 03.05.18

प्रतिलिपि –आई0टी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

27/4/18
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।